राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बनवारी बनाम नेतराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	155/2020	
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी की बहस समायत कर आदेश दिनांक 17/02/2020 पारित करते हुये उभयपक्षों को आगामी दिनांक तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/06/2020 पारित करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार करते हुये विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 647 व 648 की हद तक पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17/02/2020 को निरस्त फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/06/2020 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/06/2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	